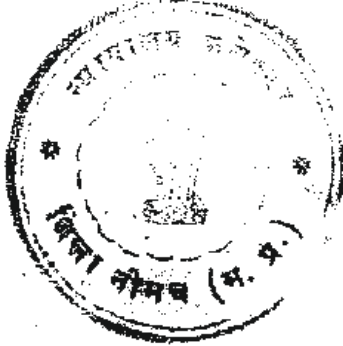


न्यायालय कलेक्टर जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 16/अ-20(3)/2020-21



निमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच
द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग
नीमच जिला नीमच ————— आवेदक
विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन ————— अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 05 - 11-2020)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग नीमच द्वारा पत्र क्र. 2055 दिनांक 13/07/2020 द्वारा जलसंसाधन विभाग की प्रस्तावित सिंचाई योजना पमारा तालाब हेतु 5.00 हे. कालिया खो तालाब 20.00 हे. व चम्बलेश्वर तालाब की उंचाई बढ़ाने हेतु 1.00 हे. कुल 26.00 हे. भूमि जल, भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

2- प्रकरण में तहसीलदार मनासा द्वारा विधिवत जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 30/09/2020 द्वारा प्रस्तुत किया कि प्रकरण दर्ज किया जाकर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। मौजा पटवारी हांसपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा हांसपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 1024 रकबा 24.110 हे. एवं सर्वे नं. 718 रकबा 23.030 हे. भूमि चरागाह के रूप में शासकीय भूमि होकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है उक्त भूमियों पर कृषकों द्वारा लगभग रकबा 0.600 हे. भूमि में अतिक्रमण है, जिसने कृषकों द्वारा फराल बोई गई है उक्त भूमि में दो पक्के मंदिर, माताजी का मंदिर व भैरव मंदिर स्थित हैं व दो तालाब, पुराना तालाब एवं पुलिया तालाब स्थित है। उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा लगभग 3.00 हे. भूमि पर नर्सरी का निर्माण किया हुआ है, उक्त भूमि के शेष भाग पर ग्राम के पशु घास चरते हैं। वर्तमान में ग्राम का कुल रकबा 932.64 हे. है जिसमें चरागाह का रकबा 88.99 हे. है जो कि ग्राम के कुल रकबा का 9.54 प्रतिशत है, रकबा 25.00 हे. भूमि कम होने पर चरागाह का रकबा 63.99 हे. होकर जो कुल ग्राम के रकबा का 6.8 प्रतिशत हो जाएगा। प्रकरण में ग्राम पंचायत हांसपुर द्वारा अपने ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रतिवेदित किया कि उक्त भूमि पशुओं के चराने तथा बना मार्ग आने जाने तथा तालाब तलाईयां, वृक्षारोपण वर्तमान में प्रस्तावित है। उक्त भूमि को परिवर्तित किया जाना उचित नहीं प्रतिवेदित किया गया। तहसीलदार मनासा द्वारा अवलोकन कर म.प्र. राजस्व पुरतक परिपत्र की कडिका-25 अनुसार निम्नानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि :-

1. स्थल मानचित्र :- प्रकरण के संलग्न है

2. संधारण खसरे अथवा अधिकार अभिलेख की प्रतियां :- प्रकरण के संलग्न हैं।

3. प्रकरण का विवरण :-

राजस्व प्रदायक हेतु उक्त भूमि का जाना है, जिस हेतु प्रख्याजी तथा भू-नांदक को निर्धारण करवाया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

4. स्थानीय निकायों से परामर्श :- स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत, हांसपुर द्वारा प्रस्तावित भूमि को आवंटित किये जाने के ठहराव-प्रस्ताव प्रस्तुत कर असहमति व्यक्त की गई। उक्त

जिला नीमच (म.प्र.)



- प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होकर शासकीय प्रयोजन हेतु आवंटित की जाना प्रस्तावित हो रहे हैं।
ग्राम पंचायत की असहमति अमान्य की जाती है।
5. अन्य विभागों से परामर्श - अपेक्षित नहीं।
 6. स्वयं पूर्ण प्रतिवेदन - प्रतिवेदन अंकित किया गया है।
 7. निकटवर्ती भू-खण्ड धारकों से परामर्श - प्रश्नाधीन भूमि शासकीय है साथ ही उक्त भूमि के आवंटन हेतु परामर्श प्राप्त किये जाने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है, नियत समयवधि में प्राप्त आपत्ति/परामर्श इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, जो कि मान्य किये जाने योग्य नहीं होने से अमान्य किया जाता है।
 8. रियायती निबन्धनों पर दी गई भूमि - प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग पगारा तालाब एवं कालिया खो तालाब हेतु ली गई भूमि के बदले प्रदान की जाना है जिस हेतु कोई इमारत निर्माण नहीं होना है, अतएव प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन हेतु उक्त निर्बंधन लागू नहीं होते हैं।
 9. भूमि दिये जाने के कारण - कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच को पत्र क्र. 2055 दिनांक 13/07/2020 अनुसार जल संसाधन विभाग की प्रस्तावित सिंचाई योजना हेतु वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराई जाना है।
 10. अतिक्रमण - पटवारी, मौजा हांसपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर अतिक्रमकों द्वारा अतिक्रमण किया जाना बताया गया है, जिस हेतु पृथक अतिक्रमकों के विरुद्ध धारा 248-म.प्र.भू.सं. 1959 के अंतर्गत कार्यवाही कर प्रश्नाधीन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जावेगा।
 11. मुख्य नगर निवेशक का मत - आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।
 12. प्रतिमाओं अथवा अर्ध प्रतिमाओं की स्थापना के लिये भूमि देना - निरक
 13. आयुक्तों का मत - अपेक्षित नहीं।
 14. आवेदन पत्र तथा उनके संलग्न - प्रकरण के संलग्न हैं।

तहसीलदार मनासा द्वारा ग्राम हांसपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 1024 रकबा 24.110 हे. एवं सर्वे नं. 718 रकबा 23.00 हे. चरागाह मद में से रकबा 25.00 हे. भूमि को म.प्र. भू.सं.प.प. की कंडिका-25 में अंकित बिन्दुओं की पूर्णता उपरांत म.प्र.भू.सं. 1959 की धारा 237 के तहत प्रश्नाधीन चरागाह मद की भूमि की नोईयत परिवर्तित कर काबित काश्त घोषित किये जाने के उपरांत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच को जल संसाधन विभाग की प्रस्तावित सिंचाई योजना हेतु वन भूमि के बदले राजस्व भूमि हेतु आवंटित किया जाना उचित होगा, उल्लेखित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा को प्रेषित किया गया।

3- अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड-मनासा द्वारा तहसीलदार मनासा के प्रतिवेदन से सहमत होकर अनुसंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

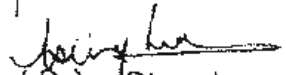
निवेदन में बताया गया है कि तहसीलदार मनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा द्वारा ग्राम हांसपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 1024 रकबा 24.110 हे. एवं सर्वे नं. 718 रकबा 23.00 हे. चरागाह मद में से रकबा 25.00 हे. भूमि को म.प्र. भू.सं.प.प. की कंडिका-25 में अंकित बिन्दुओं की पूर्णता उपरांत म.प्र.भू.सं. 1959 की धारा 237 के तहत प्रश्नाधीन चरागाह मद की भूमि की नोईयत परिवर्तित कर काबित काश्त घोषित किये जाने के उपरांत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच को जल संसाधन विभाग की प्रस्तावित सिंचाई योजना हेतु वन भूमि के बदले राजस्व भूमि हेतु आवंटित किया जाना उचित होगा, उल्लेखित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा को प्रेषित किया गया।

[Handwritten signature and stamp at the bottom of the page]

जल संसाधन संभाग, नीमच को जल संसाधन विभाग की प्रस्तावित सिंचाई योजना हेतु वन भूमि के बदले राजस्व भूमि हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के समग्र विश्लेषण में पाया कि जल संसाधन संभाग नीमच के पत्रानुसार पगारा तालाब हेतु 5.00 हे. एवं कालिया खो तालाब हेतु 20.00 हे. तथा चम्बलेश्वर तालाब की उचाई बढ़ाने से 1.00 हे. वन भूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है। प्रकरण में ग्राम पंचायत की आपत्ति विधिसम्मत नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेखित किया कि वन विभाग को हस्तांतरित भूमि की नोईयत चरागाह होने से उसे परिवर्तित करने पर चरागाह का रकबा 2 प्रतिशत से अधिक रहेगा। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कि जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम हांसपुर तहसील मनासा स्थित भूमि सर्वे नं. 1024 रकबा 24.110 हे. एवं सर्वे नं. 718 रकबा 23.03 हे. भूमि मद चरागाह में से रकबा 28.00 हे. भूमि को म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 237 के तहत चरागाह मद से का.का. मद में परिवर्तित करते हुए जल संसाधन संभाग नीमच की प्रस्तावित सिंचाई योजना पगारा तालाब, कालिया खो, एवं चम्बलेश्वर बांध से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले उक्त राजस्व भूमि वन विभाग नीमच को निम्नलिखित शर्तों पर हस्तांतरित की जाती है:-

1. विभाग हस्तांतरित भूमि का उपयोग आदेश में उल्लेखित किये गये प्रयोजन अनुसार ही करेगा।
2. भूमि पर वर्तमान मन्त्रा में वृक्षारोपण करवाया जावेगा।
3. विभाग भूमि का उपयोग नियत प्रयोजन से हटकर नहीं करेगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।
4. विभाग को पगारा तालाब, कालिया खो तालाब, तथा चम्बलेश्वर बांध योजना तहसील मनासा अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि प्राप्त करने उपरान्त प्रभावित वन भूमि का आधिपत्य राजस्व विभाग को सौंपना होगा।
5. उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

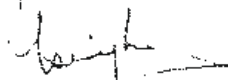

(जितेन्द्र सिंह राजे)
कलेक्टर

जिला नीमच (म.प्र.)

नीमच, दिनांक 05 - 11-2020

प्र.कं. 495/आर.टी.रो. /2020
प्रतिलिपि-

- 1- अधीनस्थ न्यायालय संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ
- 2- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा की ओर सूचनार्थ।
- 3- तहसीलदार मनासा की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवा सुनिश्चित करें।
- 4- जिला नीमच को जल संसाधन संभाग नीमच का आर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 5- अधीनस्थ न्यायालय जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कलेक्टर